

Press Release

Facility to taxpayers, GSTN enables inter-head transfer of amount Available in cash ledger

- **GST PMT-09 made available on GST Portal**
- **Transfer of amount from one head to another enabled**
- **No need to claim refund of excess balance in cash ledger**

New Delhi, 5th May 2020: The Goods and Services Tax Network (GSTN) has come up with a new functionality on GST portal which is aimed to provide a major relief to taxpayers. A taxpayer can now transfer any amount available under one head to another in the Electronic Cash Ledger. For this, a new functionality of GST PMT-09 has been made available on GST portal. This is a major facility released to the taxpayers on GST Portal, especially during the time of COVID-19 crisis when there is limited access to cash resources.

What is Form GST PMT-09:

Form GST PMT-09 provides flexibility to taxpayers to make multiple transfers from more than one head (major or minor) to another head (major or minor). It helps with the intra-head or inter-head transfer of amount available in electronic cash ledger only. The major heads defined are CGST, SGST/UTGST, IGST and cess, whereas the minor heads defined in the law are tax, interest, late fee, penalty and others.

So, a person can transfer amount available in electronic cash ledger from one major head to another major head, keeping minor head the same. Alternatively, one can move the amount from one minor head to another minor head, keeping the major head unchanged.

Thus the taxpayers need not apply for a refund for tax wrongly deposited under a particular head or deposit the amount in cash ledger again.

How to file Form GST PMT-09

To file Form GST PMT-09 taxpayers are required to login on GST portal with valid credentials and can find this option under the 'Electronic cash ledger' tab when they navigates to 'Services' and then chooses 'Ledgers'.

<https://services.gst.gov.in/services/login>>Services>Ledgers>Electronic Cash Ledger>File GST PMT-09

After Form GST PMT-09 is filed successfully, the ARN is generated. An SMS and an email are then sent to the taxpayer on the registered mobile and email id. Electronic Cash ledger gets updated after the successful filing. Duly filed form GST PMT-09 will be available for view/download in PDF format.

Taxpayers can seek better guidance on Form PMT-09 through a detailed FAQ and User Manual provided on the GST Portal under the Help section.

https://tutorial.gst.gov.in/userguide/ledgers/index.htm#t=Manual_pmt09.htm

About GSTN:

Goods and Services Tax Network (GSTN) is a Section 8 (under new companies Act, not for profit companies are governed under section 8), non-government, private limited company. Instituted in March 2013, the Company has been set up primarily to provide IT infrastructure and services to the Central and State Governments, tax payers and other stakeholders for implementation of the Goods and Services Tax (GST).

प्रेस रिलीज़

जीएसटीएन ने दी करदाताओं को सुविधा, कैश लेजर में उपलब्ध राशि को इंटर-हेड ट्रांसफर कर सकेंगे

- जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09
- एक हेड से दूसरे तक पैसा ट्रांसफर कर पाना होगा संभव
- कैश लेजर में अतिरिक्त बैलेंस के लिए रिफंड का दावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी

नई दिल्ली, 5 मई 2020: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने जीएसटी पोर्टल पर एक नई सुविधा प्रदान की है, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। करदाता अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि को एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 उपलब्ध कराया गया है। करदाताओं के लिए यह सुविधा लाभदायक होगी, खासकर ऐसे समय में जब कोविड-19 संकट के कारण करदाता नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं।

फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 क्या है:

फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 एक चालान है, जो करदाताओं को एक से अधिक हेड (मेजर या माइनर) से दूसरे हेड (मेजर या माइनर) में नकद राशि ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। यह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि के 'इंट्रा-हेड' या 'इंटर-हेड' ट्रांसफर में मदद करता है। मेजर हेड में जीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी और सेस आते हैं। वहीं, माइनर हेड में टैक्स, इंटरैस्ट, लेट फी, पेनल्टी और अन्य मदें शामिल हैं।

इसलिए, माइनर हेड को समान रखते हुए भी करदाता इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि को एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड तक ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं, मेजर हेड में बिना किसी परिवर्तन के राशि को एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड तक भी ट्रांसफर किया जा सकता है।

इस प्रकार करदाताओं को किसी विशेष हेड के अंतर्गत गलती से जमा किए गए टैक्स के लिए रिफंड का आवेदन करने या दोबारा से कैश लेजर में राशि जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 कैसे दाखिल करें

फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 दाखिल करने के लिए करदाताओं को वैलिड क्रेडेंशियल के साथ जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। लॉगिन के बाद 'सर्विसेज' का विकल्प चुनने, और फिर 'लेजर्स' का चयन करके 'इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर' टैब तक पहुंच सकते हैं।

<https://services.gst.gov.in/services/login>>Services>Ledgers>Electronic Cash Ledger>File GST PMT-09

फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 के सफलतापूर्वक फाइल हो जाने पर, एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (एआरएन) जनरेट होता है। इसके बाद करदाता को रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक एसएमएस और ईमेल भेजा जाता है। सफल फाइलिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट हो जाता है। सही तरीके से फाइल किया गया फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 पीडीएफ फॉर्मेट में देखने/ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा।

करदाता जीएसटी पोर्टल के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध विस्तृत प्रश्न-उत्तर और यूजर मैनुअल के माध्यम से फॉर्म पीएमटी-09 के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक:

https://tutorial.gst.gov.in/userguide/ledgers/index.htm#t=Manual_pmt09.htm

जीएसटीएन के बारे में:

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) एक सेक्शन 8 (नई कंपनियों के अधिनियम के तहत है, इस सेक्शन के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अधिन है), गैर-सरकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मार्च 2013 में स्थापित, कंपनी को मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।